न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 102/2023

1 श्रीमती गुलसन बानो स्त्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान फकीर निवासी नूआ तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 असगर पुत्र अल्ला रखा।
2 निजामुदीन पुत्र अल्ला रखा।
3 रमजान पुत्र अल्ला रखा समस्त जाति मुसलमान निवासी नूंआ तहसील व जिला झुंझुनू।
4 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नूआ जरिये शाखा प्रबन्धक।
5 उप पंजियक मण्डावा जिला झुंझुनू।
6 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार मण्डावा जिला झुंझुनू।
7 सहायक अभियन्ता अविविनिलि मण्डावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ आदेश दिनांक 09.10.2023
बअदालत उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुंझुनू
मुकदमा उनवानी गुलसन बानो बनाम असगर आदि
मुकदमा नम्बर 117/2022 (91/2020) प्रार्थना पत्र
धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री आबिद खान, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—13.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा द्वारा मुकदमा नम्बर 117/2022 (91/2020) में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 40 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.06 हैक्टेयर वाके ग्राम नूंआ में स्थित है। उक्त जमीन में रेस्पोडेंट रमजान से अपीलांट ने उसके 1/3 हिस्सा की 0.7605 हैक्टेयर जमीन जरिये विकय पत्र दिनांक 12.08.2010 को कय की है। अपीलांट कय शुद्वा जमीन पर काबिज काश्त है। अपीलांट ने विकय पत्र के मुताबिक घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसमे दिनांक 23.03.2022 को अन्तरिम एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की फिर विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.10.2023 को आलौच्य आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निजामुदीन का जमीन जैर बहस पर कब्जा नही है। विवादित जमीन मे चाह अपीलांट का बनाया हुआ है। जिसमे विधुत कनेक्शन निजाजुदीन को नही दिया जा सकता है। कानून से बिना विभाजन के संयुक्त खातेदारी की जमीन में किसी सहखातेदार को विधुत कनेक्शन की इजाजत नही दी जा सकती है। अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा उनवानी गुलशन बानो बनाम असगर मुकदमा नम्बर 91/2020 (117/2022) मे पारित निर्णय दिनांक 09.10.2023 को खारिज किया जावें। अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि पर वादिया का कब्जा नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय में विद्युत कनेक्शन के लिए स्थगन से छुट चाही थी। रेस्पोडेन्ट ने विद्युत विभाग में डिमांड राशि जमा करवा दी है। विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना कृषि सुधार की परिभाषा में आता है। विद्युत कनेक्शन लेने से पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने आरआरटी 2021(2) पेज 1277, डीएनजे 2015(1)(राज.) पेज 44 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य भूमि पर अवस्थित चाह पर विद्युत कनेक्शन को लेकर विवाद है। विचारण न्यायालय में धारा 212 का अन्तिम निस्तारण किया जाना अभी शेष है। विवादित भूमि में चाह (ट्यूबवेल) किस पक्षकार द्वारा निर्मित है, किस पक्षकार के कब्जे व अधिकार में है इसका निर्णय साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना है। इससे पूर्व एक पक्षकार को विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष लंबित आवेदन धारा 212 का अन्तिम निस्तारण 2 माह में किया जाना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर